(ii) in paragraph 3, in the Explanation, after clause (ii), the following clause shall be inserted, namely:—

"(iii) A "Limited Liability Partnership" formed and registered under the provisions of the Limited Liability Partnership Act, 2008 (6 of 2009) shall also be considered as a partnership firm or a firm.".

[F. No. 354/173/2017-TRU]

RUCHI BISHT, Under Secy.

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* notification No. 12/2017 - Central Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, *vide* number G.S.R. 691 (E), dated the 28th June, 2017.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 अगस्त, 2017

सं. 22/2017-केंद्रीय कर (दर)

सा.का.नि. 1047(अ).—केंद्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 9 की उपधारा (3) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार, एततद्वारा भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसचूना सं. 13/2017-केंद्रीय कर (दर) दिनांक 28 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 692(अ) दिनांक 28 जून, 2017 भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में परिषद की सिफारिशों के आधार पर निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा—

उक्त अधिसूचना में,—

(i) सारणी में, क्रम सं. 1 के समक्ष, कॉलम (2) में, शब्द और कोष्ठक "माल वाहक अभिकरण (जीटीए)" के पश्चात शब्द और अक्षर ", जिसने 6 प्रतिशत की दर से केंद्रीय कर का भुगतान नहीं किया है," अंत:स्थापित किए जाएंगे;

(ii) स्पष्टीकरण में, उपवाक्य (घ) के पाश्चात, निम्नलिखित उपवाक्य को अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा—

"(ड़) लिमिटेड लिएबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट, 2008 (2009 का 6) के प्रावधानों के अंतर्गत निर्मित और पंजीकृत "लिमिटेड लिएबिलिटी पार्टनरशिप" को एक पार्टनरशिप फर्म या फर्म माना जाएगा।"

[फा. सं. 354/173/2017-टीआरयू]

रूचि बिष्ट, अवर सचिव

नोट : प्रधान अधिसूचना को अधिसूचना सं. 13/2017-केंद्रीय कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, सा.का.नि. 692(अ) दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, में प्रकाशित किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd August, 2017

No. 22/2017-Central Tax (Rate)

G.S.R. 1047(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 9 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government on the recommendations of the Council hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No.13/2017- Central Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 692(E), dated the 28th June, 2017, namely:—

In the said notification,—

(i) in the Table, against serial number 1, in column (2), after the words and brackets "goods transport agency (GTA)" the words and figure ", who has not paid central tax at the rate of 6%," shall be inserted;

(ii) in the Explanation, after clause (d), the following clause shall be inserted, namely:—

"(e) A "Limited Liability Partnership" formed and registered under the provisions of the Limited Liability Partnership Act, 2008 (6 of 2009) shall also be considered as a partnership firm or a firm.".

[F. No. 354/173/2017-TRU]

RUCHI BISHT, Under Secy.

Note : The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* notification No. 13/2017 - Central Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, *vide* number G.S.R. 692 (E), dated the 28th June, 2017.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 अगस्त, 2017

सं. 23/2017-केंद्रीय कर (दर)

सा.का.नि. 1048(अ).—केंद्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 9 की उपधारा (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार, एतद्द्वारा भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसचूना सं. 17/2017-केंद्रीय कर (दर) दिनांक 28 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 696(अ) दिनांक 28 जून, 2017 भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग ।।, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में परिषद की सिफारिशों के आधार पर निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा**—**

उक्त अधिसूचना में, प्रथम पैराग्राफ में उपवाक्य (ii) के पश्चात निम्नलिखित उपवाक्य को अंत:स्थापित किया जाएगा;**—**

"(iii) हाउस कीपिंग के माध्यम से दी जाने वाली सेवाओं जैसे कि पलंबिंग, कारपेंटरिंग आदि, सिवाय वहां जहां इलेक्ट्रानिक वाणिज्यिक प्रचालक के माध्यम से ऐसी सेवाओं की पूर्ति करने वाला व्यक्ति केंद्रीय माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 की धारा 22 की उपधारा (1) के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए दायी है।"

[फा. सं. 354/173/2017-टीआरयू]

रूचि बिष्ट, अवर सचिव

नोट : प्रधान अधिसूचना को अधिसूचना सं. 17/2017-केंद्रीय कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, सा.का.नि. 696(अ) दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, में प्रकाशित किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd August, 2017

No. 23/2017-Central Tax (Rate)

G.S.R. 1048(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (5) of section 9 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No.17/2017- Central Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 696(E) dated the 28th June, 2017, namely:—